

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 412/2026

1. Jeetu S/o Shri Kuka, Aged About 25 Years, R/o Kalbeliya Basti, Vejpur, Police Station Sarada, District Salumber-Udaipur (Presently Incarcerated In Sub-Jail Salumber)
2. Roshan S/o Shri Kuka, Aged About 27 Years, R/o Kalbeliya Basti, Vejpur, Police Station Sarada, District Salumber-Udaipur (Presently Incarcerated In Sub-Jail Salumber)

-----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Jayant Joshi

For Respondent(s) : Mr. Narendra Gehlot, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT
Order

25/03/2026

- 01.** प्रार्थीगण—अभियुक्तगण की ओर से जमानत का यह आवेदन अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता (483 बी.एन.एस.एस.) पुलिस थाना सराड़ा, जिला सलूम्बर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 235/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 117(2), 109(1), 191(3), 190 बी.एन.एस. व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के मामले में प्रस्तुत कर जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।
- 02.** बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
- 03.** प्रार्थीगण—अभियुक्तगण के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस मामले में पप्पु के शरीर पर आई चोट प्राण घातक नहीं है। केवल कैलाश के चोटें प्राण घातक होना बताते हुए यह निवेदन किया कि प्रार्थीगण—अभियुक्तगण काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं एवं विचारण में समय लगने की संभावना है इस आधार पर प्रार्थीगण—अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।
- 04.** इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थीगण—अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में प्रार्थी-अभियुक्त जीतू पर आहत कैलाश के सिर पर लगातार चोटें कारित करने का आरोप है, जो प्राण घातक चोटें होना स्पष्ट है और आहत पप्पु के सिर पर भी लाठी से चोट कारित की गई है। ऐसी अवस्था में इस मामले के गुणावगुण पर विवेचन किए बगैर इस प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को मददेनजर रखते हुए इस स्टेज पर आहत पप्पु व कैलाश के बयान से पूर्व प्रार्थीगण-अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

06. परिणामतः प्रार्थीगण-अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता (483 बी.एन.एस.एस.) खारिज किया जाता है। साथ ही आहत पप्पु व कैलाश के बयान के पश्चात प्रार्थीगण-अभियुक्तगण पुनः जमानत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J